Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **चित्तौड़गढ़ में कनिष्ठ अभियंता 7500/–रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *05 अप्रेल, मंगलवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर चित्तौड़गढ़ इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये सतेन्द्र सनाड्य हाल संविदाकर्मी कनिष्ठ अभियंता समग्र शिक्षा अभियान ब्लॉक गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से 7500/–रूपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की चित्तौड़गढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा राजकीय विधालय उण्ड़वा में करवाये गये निर्माण एवं मरम्मत कार्यों के बिल पास करवाने की एवज में 15 प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल** के सुपरवीजन में एसीबी चित्तौड़गढ़ इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री विक्रम सिंह** के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन किया जाकर **श्री दयालाल चौहान पुलिस निरीक्षक** मय **श्री राजेश आचार्य उप निरीक्षक** व टीम द्वारा आज ट्रेप कार्यवाही करते हुए श्री सतेन्द्र सनाड्य पुत्र बृजमोहन निवासी फ्रेन्ड्स कॉलोनी चामटीखेड़ा रोड चित्तौड़गढ़, हाल संविदाकर्मी कनिष्ठ अभियंता समग्र शिक्षा अभियान ब्लॉक गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ को परिवादी से **7500/–रूपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है कि आरोपी सतेन्द्र सनाड्य द्वारा परिवादी से 1500 रूपये की रिश्वत राशि पूर्व में सत्यापन के दौरान प्राप्त की गई थी।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ तथा आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।